CENTRE for e-GOVERNANCE U.P.

1st Floor, UPTRON Building, Near Gomti Barrage, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010

सेण्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश (उ.प्र. सरकार की समिति)

प्रथम तल, अपट्रॉन बिल्डिंग, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ – 226 010

फोन/फैक्स : 0522–2304706, वेबसाइट : www.upite.gov.in/ceg ई–मेल : ceglko.up@gmail.com

Ref No.- CeG/P/09/XII/21/2022
Date- 06/04/2022

सेवा में,

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी,
एन.आई.सी., योजना भवन,
लखनऊ, उ0प्र0।

विषयः–हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता 02 वर्ष के स्थान पर 03 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रांक–354/78–2–2022–53आईटी/2012टीसी, दिनांक 05.04.2022 के साथ संलग्न अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1296/एक–9–2021, दिनांक 28.03.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासनादेश संख्या–सी0एम0–648/एक–9–2018–7(एम)/18, दिनांक 29.10.2018 के सन्दर्भ में ऑनलाइन माध्यम से जारी हैसियत प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि, हैसियत प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से 02 वर्ष के स्थान पर 03 वर्ष की जाती है, अतः शासनादेश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हैसियत प्रमाण पत्र जारी कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में शासन के अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासनादेश दिनांक 28.03.2022 के क्रम में आपसे अनुरोध है कि ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर "हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि को हैसियत प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से 02 वर्ष के स्थान पर 03 वर्ष किये जाने की कार्यवाही हेतु प्रकरण से सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

<u>संलग्नक–यथोक्त।</u>

(संजय रैना)
प्रबन्धक

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–</u>

1. अपर मुख्य सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन को शासनादेश दिनांक 28.03.2022 के क्रम में सादर सूचनार्थ।
3. संयुक्त सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
4. श्री शैलेष श्रीवास्तव, सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।

(संजय रैना)
प्रबन्धक

महत्वपूर्ण

संख्या- 354/78-2-2022- 53 आई0टी0/2012 टीसी

प्रेषक,

बराती लाल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राज्य समन्वयक,
सीईजी,
गोमती नगर,लखनऊ।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 05 अप्रैल,2022

विषय:- हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता 02 वर्ष के स्थान पर 03 वर्ष किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0 को सम्बोधित एवं समस्त अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव/सचिव,उ0प्र0 शासन को पृष्ठांकित विशेष सचिव,राजस्व अनुभाग-9,उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1296/ एक-9-2021,दिनांक 28-03-2022 का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से शासनादेश संख्या-सी0एम0-648/एक-9-2018-7(एम)/18, दिनांक 29-10-2018 के संदर्भ में ऑनलाइन माध्यम से जारी हैसियत प्रमाण पत्र के संबंध में अवगत कराया गया है कि " हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि,हैसियत प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से 02 वर्ष के स्थान पर 03 वर्ष की जाती है, अत: शासनादेश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हैसियत प्रमाण पत्र जारी कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3- उक्त सदंर्भित पत्र दिनांक 28-03-2022 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त। Email

भवदीय,

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव।

944

सं० - 354/78-2-2022

..1559

संख्या—1296 / एक—9—2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

Secy(S)/VS(KV)

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

30/03/22

राजस्व अनुभाग—9 लखनऊ : दिनांक: 28 मार्च, 2022

विषयः—हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता 02 वर्ष के स्थान पर 03 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश सं0—सी0एम0—648 / एक—9—2018—7(एम) / 18, दिनांक 29.10.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किये जानें के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा—निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि सम्यक् विचारोपरान्त हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि, हैसियत प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से 02 वर्ष के स्थान पर 03 वर्ष की जाती है। उक्त शासनादेश के अन्य समस्त प्राविधान यथावत् रहेंगे। कृपया उक्त शासनादेश में निर्धारित प्रकिया के अनुसार हैसियत प्रमाण पत्र जारी कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

आज प्राप्त
GS/VS(KV)/JS(B)

1/4/22
(कुमार विनीत)
विशेष सचिव
आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग
उ०प्र० शासन।

संख्या—1296(1) / एक—9—2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1—समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2 आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0, लखनऊ।
3—समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4—स्टॉफ ऑफिसर, मा0 अध्यक्ष राजस्व परिषद उ0प्र0।
5—स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6—गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।